

**कार्यालय विशेष भू अर्जन पदाधिकारी,
मध्यम सिंचाई परियोजना, जमुई**

सार्वजनिक सूचना

(अधिनियम-30/2013 की धारा -21 (1) के अधीन)

संख्या - 10 / दिनांक- 04.01.2018

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा नन्दनामा वितरणी निर्माण हेतु ग्राम-सावन खेरमा, थाना-सिकन्दरा, थाना नं०-183, अंचल-रामगढ़ चौक, जिला- लखीसराय में कुल 5.18 एकड़ यानी 2.0963 हेक्टर भूमि अर्जित की जा रही हैं जिसकी घोषणा अधिघोषणा संख्या 315 दिनांक 19.12.2017 के द्वारा की गई है। जिसका विवरण निम्नवत है :-

क्र०	खाता सं०	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	14	1	निजी	भीठ	0.56	बालचन्द यादव, वो पुना यादव वो लेखा यादव पितावगैरह सा०, सावन खेरमा	नन्दनामा 176	159	18	बरुई 182
2	14	2	निजी	भीठ	0.70	सौदागर महतो पिता वितु मिस्त्री वगैरह, सा० सावन खेरमा	456	7	3	बरुई 182
3	14	7	निजी	धनहर	0.58	प्रयाग साव वो उपेन्द्र साव पिता गनौरी साव, सा० सावन खेरमा	3	8	6	बरुई 182
4	14 14	8 8	निजी	धनहर	0.50 0.27	मुसा राम, पिता किसुन राम वो रामधीन राम पिता सारनी राम, वो पंकज राम पिता जागो राम, सा० सावन खेरमा	7 7	143 143	157 157	बरुई 182
5	66	143	निजी	धनहर	0.01	सहदेव नोनिया पिता विसून नोनिया, सा० सावन खेरमा	8	145	142	144
6	66	144	निजी	धनहर	0.34	सहदेव नोनिया पिता विसून नोनिया, सा० सावन खेरमा	157	145	143	बरुई 182
7	40	145	निजी	धनहर	0.12	कमता नोनिया वो रामाकान्त नोनिया पिता धोबी नोनिया, सा० सावन खेरमा	144	156	146	बरुई 182
8	5	154	निजी	भीठ	0.44	कमता नोनिया वो रामाकान्त नोनिया पिता धोबी नोनिया, सा० सावन खेरमा	156	158	178	बरुई 182
9	53	156	निजी	धनहर	0.12	सहदेव नोनिया पिता विसून नोनिया, सा०	145	154	155	बरुई 182

(Handwritten Signature)

						सावन खेरमा				
10	66	157	गै0 आम	पैन	1.04	गैरमजरुआ आम	बरुई 182	144	8	बरुई 182
11	13	158	निजी	धनहर	0.15	महेश्वर पाण्डेय, पिता चन्द्रशेखर पाण्डेय वगैरह, सा0 सावन खेरमा	154	159	172	बरुई 182
12	9	159	निजी	भीठ	0.02	पंचानन्द पाण्डेय पिता राजकुमार पाण्डेय, सा0 सावन खेरमा	158	160	161	बरुई 182
13	14	456	निजी	धनहर	0.33	द्वारिका यादव वो तुली यादव पिता प्रसादी यादव, सा0 सावन खेरमा	1	3	18	बरुई 182

उपरोक्त भूमि में जिन लोगों का स्वार्थ है उनसे आग्रह किया जाता है कि वे 06.02.2018 को 11:30 AM बजे दिन में किसान भवन, नन्दनामा में स्वयं अथवा अपने अभिकर्ता या अधिवक्ता के द्वारा उपस्थित हो तथा भूमि में अपने-अपने हितों के लिए प्रतिकर के उनके दावों की रकम और विशिष्टियाँ, भूमि के माप/ क्षेत्रफल के संबंध में उनके आक्षेप तथा पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में अपने दावा/ आपत्ति, यदि कोई हो, तो प्रस्तुत करें।

विशेष भू अर्जन पदाधिकारी,
मध्यम सिंचाई परियोजना, जमुई।

ज्ञापांक-10 / दिनांक - 04.01.2018 /

प्रतिलिपि आई0टी0 मैनेजर, लखीसराय को सूचनार्थ एवं जिले के वेवसाईट पर इस सूचना को अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष भू अर्जन पदाधिकारी,
मध्यम सिंचाई परियोजना, जमुई।